

मूल्य: रूपया 500/- मात्र।
(रूपया पांच सौ मात्र)

1:

Est. Price :- 500/- SL. No. (77)
Name of Contractor.....
Date of application.....
निविदा प्रपत्र सं०
Tender from.....
Date & time of - 10/09/2026
Opening the Tender on - 12-30 P.M.

निविदा प्रपत्र

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मंडल, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार में वाहन पार्किंग के लिए अनुमति के मंजूरी निविदा।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
द्वारा- अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
पटना मंडल, जे०सी० रोड, अन्टा घाट,
पटना-800001

मैं/हमलोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मंडल, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार में वाहन पार्किंग हेतु, ज्ञापन में अन्तर्विष्ट अवधि के लिए एवं अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति के मंजूरी हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/हैं।

- (क) विवरण - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मंडल सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार में वाहन पार्किंग हेतु अनुज्ञप्ति।
(ख) अवधि - दिनांक 15.09.2026 से दिनांक 14.09.2027 तक की अवधि के लिए अनुबंध।
(ग) अग्रिम राशि - रुपये (रुपये.....)
डी०डी० सं०
(घ) निविदित्त राशि -रुपये (शब्दों में) -

मैं / हमलोग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के साथ दिनांक से तक की निविदा की अवधि के लिए निविदा करता हूँ/करते हैं।

मैं/हमलोग अनुबंध के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो मेरे/हमलोग द्वारा पूर्णरूप से पढ़ा एवं समझा गया है। भूल/चूक की स्थिति में, मेरे/हमलोगों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, राष्ट्रपति, भारत सरकार या उनका उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाएगा। मैं/हमलोग, निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुबंध को निष्पादन का वचन देता हूँ/हैं।

मैं/हमलोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ अग्रिम – राशि के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं, जो अनुबंध ज्ञापन के नियम सं० ०६ के तहत तथा सफल निविदा के स्थिति में, प्रतिभूति— राशि के रूप में परिवर्तित होगा जिसकी पूरी राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाए।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक:—

गवाह:—

पता एवं व्यवसाय:—

स्वामित्व, बिक्री की स्थिति में निविदा स्वयं स्वामी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा। फर्म साझेदारी की स्थिति में मध्यस्थ नियम के तहत साझेदारों को आपसी अनुबंध-दस्तावेज के आधार पर, निविदा सभी साझेदारों द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता/निविदाकार किसी कम्पनी के मालिक हैं तो निविदा एवं अनुबंध पर स्वयं मालिक को हस्ताक्षर करना होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय उपरोक्त निविदा स्वीकार करता है।

नियम एवं शर्तें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, उप मंडल, सासाराम जिला रोहतास, बिहार में दिनांक **15.09.2026** से दिनांक **14.09.2027** तक एक वर्ष की अवधि के लिए तथा वाहन-पार्किंग के लिए निर्धारित प्रपत्र का मूल्य 500/- रुपये के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु मुहरबंद निविदा आवंटित करता है तथा निविदाकार/निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनुबंध मान्य होगा।
2. निविदाकार/निविदाकर्ता को वाहन-पार्किंग क्षेत्र को आरंभ करने के पूर्व उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को स्वीकार करने एवं उसके पालन के लिए प्रतिबद्धता हेतु लिखित अनुबंध करना होगा। स्टाम्प पेपर एवं निबंधन शुल्क का खर्च स्वयं निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा स्वीकार करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदाकार के अग्रिम राशि को जब्त करते हुए उनके सफल दावे को निरस्त समझा जायेगा एवं यह कार्यालय किसी अन्य प्रतिभागी के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार किया जाएगा उन्हें संविदा-प्रपत्र में दर्शाये गये अनुज्ञप्ति के शर्तों का अनुपालन करना होगा।
4. दिनांक **10.08.2026** को **12.00** बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन **12.30** बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकारों/डाककर्ता के उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी एवं उपस्थित निविदाकर्ता के समक्ष बोली लगायी जाएगी।
5. अव्यस्क द्वारा दी गई निविदा तबतक स्वीकार नहीं होगा जबतक कि उसकी ओर से अभिभावक द्वारा निविदा हस्ताक्षरित नहीं होगा।
6. निविदाकार/निविदाकर्ता को अग्रिम राशि के रूप में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त 10000/- (रुपया दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यह अग्रिम राशि, किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार होगा उसका अग्रिम राशि के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट लौटाया नहीं जाएगा तथा ये राशि प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित समझा जाएगा। वैसे सफल निविदाकार की अग्रिम राशि, जो अनुज्ञप्ति को अस्वीकार करेगा या जो अनुबंध-निष्पादन में असफल होगा या जो निविदा शुल्क जमा नहीं करेगा, जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त पार्किंग स्थल एक विशेष अवधि दिनांक **15.09.2026** से दिनांक **14.09.2027** तक अनुज्ञप्ति पर दी जाएगी, जो अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. निविदा अगर किसी फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्था के प्रत्येक साझेदार द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा। किसी साझेदार की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा तथा संस्था के साझेदारों को स्पष्ट करना होगा कि संस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

9. निविदा में दर्शाये गये राशि रूपये में लिखना होगा जिसे अंकों एवं शब्दों में भी दर्शाना होगा।
10. किसी भी परिस्थिति में निविदा शुल्क में कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी।
11. अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल को बिना कोई कारण दर्शाये निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. चूँकि यह समझा जाएगा कि निविदाकार निविदा के पहले अनुबंध में दर्शाये गये सभी निबंधन एवं शर्तों को अध्ययन कर लिया है तथा उसे अनुपालन हेतु मान्य है।
13. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को उपरोक्त कार्य हेतु अनुज्ञप्ति अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. ज्योंही सफल निविदाकार की निविदा स्वीकार्य होगी उन्हें अग्रिम के रूप में अनुज्ञप्ति राशि जमा करना होगा, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना में देय होगा।
15. अनुज्ञप्ति राशि प्राप्त होने तथा अनुबंध निष्पादन के बाद ही प्रस्तावित पार्किंग स्थल सफल निविदाकार को सौंपा जाएगा।
16. नगरपालिका बोर्ड के नियमों को, यदि कोई नियम है, तो उसे पालन करना होगा तथा किसी प्रकार का उल्लंघन के लिए स्वयं निविदाकार उत्तरदायी होगा।
17. प्रत्येक निविदाकार, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल पटना को संबोधित करेंगे।
18. निविदाकार उक्त पार्किंग स्थल को किसी उप पट्टा पर नहीं लगाएगा।
19. अनुज्ञप्ति के समाप्त होने या उसके पूर्व समाप्ति पर निविदाकार द्वारा परिसर को खाली कर शांतिपूर्वक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना को सौंपना होगा।
20. निविदाकार का कोई भी कर्मचारी, स्मारक के आस-पास अनावश्यक रूप से नहीं घूमेगा और न ही शोरगुल करेगा तथा किसी पर्यटक एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करेगा।
21. निविदाकार किसी प्राकर का कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण कार्य नहीं करेगा तथा प्राचीन स्मारक एवं उसके गार्डन/परिसर को किसी प्राकर का क्षति नहीं पहुँचाएगा।
22. निविदाकार परिसर को साफ-सुथरा रखेगा तथा ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम 1958 तथा नियम 1959 का उल्लंघन नहीं करेगा।
23. निविदाकार को अपनी सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करना होगा तथा उसके क्षति होने की स्थिति में अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना उत्तरदायी नहीं होगा।
24. बिना सूचना के अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है तथा जिसके लिए समानुपातिक प्रतिभूति किया जाएगा।

25. स्मारक के बन्द एवं खोलने की अवधि तक ही पार्किंग स्थल पर पार्किंग संबंधित कार्य करना होगा। यदि निविदाकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई शिकायत मिलती है और अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना मंडल, पटना द्वारा सही पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति राशि लौटाए बिना अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा अनुज्ञप्ति राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जैसा कि उपरोक्त पैरा-2 में अन्तर्विष्ट है।
26. किसी विवाद की स्थिति में विवाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, धरोहर भवन, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मैं, उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता हूँ।

(निविदाकार का हस्ताक्षर)
पूरा नाम एवं पता